कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

–:: कार्यालय आदेश ::–

माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर की याचिका संख्या 12539/17 अनिता कुमारी बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 31.07.17 की पालनां में श्रीमती अनिता कुमारी व्याख्याता भूगोल राउमावि अलखपुरा (नागौर) ने अभ्यावेदन दिनांक 12.09.17 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पति भारतीय सेना में कार्यरत है और घर पद वृद्ध सास–ससुर है, अतः गृह जिले झुझुनू में पदस्थापन करावें।

माननीय न्यायालय ने पारित निर्णय दिनांक 31.07.17 में मानिका मील के निर्णय का हवाला देते हुए श्रीमती अनित कुमारी के प्रकरण का सकारण अभ्यावेदन निस्तारण करने के आदेश पारित किए है।

श्रीमती मोनिका मील का चयन वरिष्ठ अध्यापक पद पर हुआ था। श्रीमती अनिता कुमारी का चयन व्याख्याता भूगोल के पद पर हुआ है व्याख्याता पद राज्यस्तरिय पद है। राजस्थान के किसी भी विधालय में जहां भूगोल व्याख्याता का पद स्वीकृत है, पदस्थापन किया जा सकता है श्रीमती अनिता कुमारी को काउन्संलिग में स्वयं के सहमति के आधार पर राउमावि अलखपुरा, मौलासर, नागौर के पदस्थापन किया गया है। नियमो में काउन्संलिग में कार्यरत सैनिक की पत्नी को वरियता देने का प्रावधान नही है अतः अभ्यावेदन खारिज कर निस्तारण किया जाता है।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–5/**कार्यमुक्ति**/15–16 दिनांक 04/10/17

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. संबंधित उपनिदेशक (मा) अजमेर
2. प्रधानाचार्य राउमावि अलखपुरा, मौलासर, नागौर
3. श्रीमती अनिता कुमारी पत्नी श्री अशोक पूनियां, गांव व पोस्ट बिन्जूसर (झुझुनू)
4. विधि अनुभाग को एस.बी. याचिका सं0 12539/17 में पारित निर्णय के क्रम में (उच्च न्यायालय, जयपुर)
5. रक्षित पत्रावली
6. कम्प्यूटर अनुभाग

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर